

डिक्री व मुकदमे ईवतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 60/2025
प्रवीण कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादी

- वनाम्
1. नरेश कुमार पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 2. हनुमान प्रसाद पुत्र श्रीदानाराम जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 3. धर्मपाल पुत्र श्री हनुमान जाति जाट निवासी ढावां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 4. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीदानारामजातिजाटनिवासीढावांतहसीलसंगरियाजिलाहनुमानगढ़(राज.)
 5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढावा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 6. रजनीश पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढावा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 7. अन्जू पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ढावा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 8. अनुराधा पुत्री श्रीनरेश कुमार जाति जाट निवासी ढावा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 9. मोनिका पुत्री श्री नरेश कुमार जाति जाट निवासी ढावा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 10. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिर्मेशन कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 4 बी.जी.पी. के खाता सं. 71/43 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को ब. हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 व 4 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 1 डी.एन.जी. के खाता सं. 47/43 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी के पिता, चाचा एवं चचेरे भाई प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से 2.088 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 0.308 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 1.021 है. कृषिभूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 ता 6 को 0.759 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 6 बी. जी.पी. बी के खाता सं. 47/49जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के पिता, चाचा एवं चचेरे भाई प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से 2.973 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1.370 है. कृषि भूमि के ब. हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 2 को 0.307 है. कृषिभूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 0.216 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 ता 6 को 1.080 है. कृषिभूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर उक्तानुसार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का हिस्सा घटाया/बढ़ाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

(क) वादी प्रवीण कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार एवं प्रतिवादी सं. 1 नरेश कुमार पुत्र श्री दानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढावा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की व.हि.ब.कृषि भूमि:-

चक 4 बी.जी.पी. खाता सं. 71/43 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
204/130	16	10,11/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषिभूमि

चक 6 बी.जी.पी. वीखाता सं. 47/49जमाबन्दीसम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/141	42	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.
200/140	34	12/0.105 है.(किला की पूर्वीदिशा में), 13,18,19/0.253 है.प्र., 20/0.127 है.(किला की पूर्वीदिशा में), 21/0.126 है.(किला की पूर्वीदिशा में), कुल 1.370 है. कृषिभूमि

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ख) प्रतिवादी सं. 2 हनुमान प्रसाद पुत्र श्री दानाराम (0.308 है.) एवं प्रतिवादी सं. 3 धर्मपाल पुत्र श्री हनुमान (1.021 है.) समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकशत की कृषिभूमि:-

चक 1 डी.एन.जी. खाता सं. 47/43 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
203/130	42	6,15/0.253 है.प्र.
203/131	59	9,12,19/0.211 है.प्र., 20/0.190 है.

कुल 1.329 है. कृषिभूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 हनुमान प्रसाद पुत्र श्री दानाराम (0.307 है.) एवं प्रतिवादी सं. 3 धर्मपालपुत्र श्री हनुमान (0.216 है.) समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हकहिस्सा व कब्जाकाशत की कृषिभूमि:-

चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 47/49 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/141	42	4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.
199/140	35	16/2/0.072 है.(किला की उत्तरीदिशा में), 17/0.072 है.(किला की उत्तरीदिशा में), 18/0.126 है.(किला की उत्तरीदिशा में)

कुल 0.523 है. मय गै.मु. कृषिभूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 4 ता 6 क्रमशः राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री दानाराम, सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार एवं रजनीश पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि:-

चक 6 बी.जी.पी. बी खाता सं. 47/49 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
199/140	35	16/2/0.118 है.(किला की दक्षिणी दिशा में), 17/0.181 है.(किला की दक्षिणी दिशा में) 18/0.127 है.(किला की दक्षिणी दिशा में),
200/140	34	11/0.253 है., 12/0.148 है.(किला की पश्चिमी दिशा में) 20/0.126 है.(किला की पश्चिमी दिशा में), 21/0.127 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)

कुल 1.080 है. कृषिभूमि

चक 1 डी.एन.जी. खाता सं. 47/43 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
203/129	41	16,25/0.253 है.प्र.
203/130	42	5/0.253 है.

कुल 0.759 है. कृषिभूमि

नोट :- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......नल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......100/- खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।
बसवत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...19.3.2025...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक क्लर्क एवं
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया